Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 6311 Dated- 9.12.16

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **16.4800 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Limited for 132 KV S/C Khajuwala-Chhattargarh Transmission line in Bikaner district** falls within jurisdiction of **Bikaner.**

It is further certified that:

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **16.4808 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure ......

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities

Encl: AS above

(VED PRAKASH)
District Collector
Bikaner
9.12.16

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 6312-13 Dated- 9.12.16

Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Chhattargarh
2. DFO (Stage-II), Bikaner

District Collector
Bikaner
9.12.16

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : एफ.8-1( )राजस्व / वन / प्रत्या. / 14 / (...) दिनांक 28.11.2016

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.8बी / राज / 06 / 19 / 2015 / एफ.री / 201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 6(14)प्रसु / अनु-3 / 2008(1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 28.11.2016 को सायं 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	श्रीमती नम्रता वृष्णि , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर	सदस्य
2.	डा. शलभ कुमार, उप वन संरक्षक, बीकानेर	सदस्य
3.	श्रीमति सुनीता नायक, सदस्य जिला परिषद, बीकानेर	सदस्य
4.	श्री कमल कुमार, सदस्य जिला परिषद, बीकानेर	सदस्य

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अनिधिनियम 2006 एवम् नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये :-

1. 0.1150 है. एस्सार ऑयल लि. एप्रोच रोड निर्माण बीकानेर-फलौदी रोड़ एन.एच.-15 किमी 62-63 खसरा नम्बर 456 / 148 ग्राम दियातरा तहसील कोलायत
2. 132 केवी एस / सी खाजूवाला-छत्तरगढ़ ट्रांसमीशन लाईन
3. अपग्रेडेशन एवं स्ट्रेथनिंग टू लेन से टू लेन विथ पेव्ड शोल्डर कार्य नागौर-बीकानेर सेक्शन एन.एच.-89 किमी 161 / 0 से 267 / 325 के मध्य प्रस्तावित नोखा-बाईपास

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति, कोलायत, पूगल, खाजूवाला व नोखा द्वारा ग्राम सभा की अनुज्ञा के आधार पर अनुमोदन किया जा चुका है।

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परापरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परापरागत वन

निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर निर्माण हेतु सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

अतः उक्त प्रकरणों में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंषा की जाती है।

नम्रता वृष्णि
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर

वेद प्रकाश
जिला कलक्टर
बीकानेर

सुनिता नायक
सदस्य, जिला परिषद
बीकानेर

डा. सुलभ कुमार
उप वन संरक्षक
बीकानेर

कमल कुमार
सदस्य, जिला परिषद
बीकानेर

क्रमांक : एफ.8–1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/6083 B-J दिनांक : 28.11.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर
2. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा
3. उप वन संरक्षक, बीकानेर
4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवम् अधीक्षण अभियंता, सानिवि, राउमावि वृत्त, बीकानेर
5. अधिशाषी अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर
6. संभाग प्रबंधक, एस्सार ऑयल लि, जयपुर
7. श्रीमती निपुण/सुनिता/श्री कमल कुमार, सदस्य, जिला परिषद, बीकानेर

अति.जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

कार्यालय उपखंड अधिकारी, खाजुवाला

क्रमांकः 1307 | दिनांक 11/8/16

आज दिनांक 11.08.2016 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्रामस्तरीय वनाधिकार कमेटी से वनक्षेत्र मे पड़ने वाली 132 केवी एस/सी छतरगढ़-खाजूवाला ट्रासमीशन लाईन का निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नही है इसलिए 132 केवी एस/सी छतरगढ़-खाजूवाला ट्रासमीशन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गाँव बैरियावाली की 3.4695 हैक्टेयर वन भूमि व गाँव मापोडिग्गी की 5.7510 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने की अनुसंशा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

रेंजर वन क्षेत्र, बैरियावाली

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, खाजूवाला

सदस्य
पं. स. सदस्य

सदस्य
डायरेक्टर

सदस्य
सरपंच

विषय : — 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु गांव बैरियावाली एवं माधोडिग्गी की वनभूमि के विपथन के संबंध मे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम द्वारा 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़ - खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु तहसील खाजूवाला के गांव (2 बीआरडब्ल्यूएम) बैरियावाली मे 3.4695 हेक्टेयर वन भूमि व माधोडिग्गी मे 5.7510 हेक्टेयर वन भूमि वनभूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध मे दिनांक 11/08/2016 को उपखण्ड कार्यालय मे बैठक का आयोजन रखा गया जिसमे उपखण्ड अधिकारी चेयरपर्सन एवं निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे ।

1. विकास अधिकारी- खाजूवाला
2. रेंजर , वनविभाग (बेरियावाली)
3. [illegible] प.स. सदस्य
4. [illegible] प.स. सदस्य
5. श्री विद्युत स्वामी सेरपंच, खाजुवाला
6.
7.

डायरेक्टर

सरपंच
ग्रा.पं. बैरियांवाला (खाजूवाला)
पं.स. खाजूवाला (राज.)

बैठक कार्यवाही आरम्भ किये जाने के पश्चात गैर वन उद्देश्य के लिए छत्तरगढ़ टेरिटोरियल वन विभाग के गांव बैरियावाली मे 3.4695 हेक्टेयर वन भूमि व माधोडिग्गी मे 5.7510 हेक्टेयर वनभूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध मे राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड , बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किये गये केस अर्थात 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण पर तथा ग्राम सभा अनुमाओ का अवलोकन किया गया व विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य के संबंध मे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । उक्त प्रस्ताव के संबंध अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 के सभी खण्डो पर बैठक मे विचार विमर्श किया गया । उक्त वनभूमियो का विपथन प्रस्तावित 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के संबंध मे किया जाना है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी ,खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि मे कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए गैर-वन उद्देश्य से 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव बैरियावाली मे 3.4695 हेक्टेयर वन भूमि व माधोडिग्गी मे 5.7510 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को बैठक मे सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

ग्राम सभा [illegible]

ग्राम सभा : खाजूवाला

गाँव : 2BKWM (बेरियावाली)

दिनांक : 20/07/15

राजस्थान राज्य में 132 केवी S/c छतरगढ़ - खाजूवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव बेरियावाली [illegible] विपुल स्वामी ... की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ग्राम सभा तथा [illegible] सदस्यों की उपस्थिति मे निम्नलिखित मुद्दो पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए छतरगढ़ रेंज प्रथम वन [illegible] के गाँव 2BKWM. में 3.4695 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन अर्थात 132 केवी S/c छतरगढ़ - खाजूवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहिताओ पर [illegible] समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) [illegible] बैठक में विचार विमर्श किया गया। [illegible] हेतु प्रस्तावित 132 केवी [illegible] - खाजूवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत नही किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात उपरोक्त लाईन के निर्माण के लिए छतरगढ़ रेंज प्रथम वन विभाग के गाँव 2BKWM. का [illegible] 3.4695 हेक्टेयर भूमि विपथन की बैठक मे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

ग्राम सेवक / सरपंच
ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत खाजूवाला
पं.स. खाजूवाला (बीकानेर)

जिला : बीकानेर
दिनांक

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरियांवाली / खाजूवाला

पंचायत समिति–खाजूवाला जिला–बीकानेर (राज.)

विपुल ज्याणी
सरपंच

निवास :
वार्ड नं. 2, चमड़िया कॉलोनी, खाजूवाला
फोन नं. 01520 232333
मो. 9413388755

क्रमांक: ग्रा.प. खा/407 दिनांक: 26.07.2016

अनापत्ति - प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत खाजूवाला की पाक्षिक बैठक दिनांक 20.07.2016 में प्रस्ताव संख्या 5 में लिये गये निर्णयानुसार 132 K.V जी एस छतरगढ़ से खाजूवाला 132 K.V एकल परिपथ विद्युत ट्रांसमिशन लाइन छतरगढ़ वन परिक्षेत्र में 2 BRWM से होकर गुजरने पर इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 20.7.2016 को कार्यालय ग्राम पंचायत खाजूवाला से जारी किया जाता है।

विपुल ज्याणी
सरपंच
ग्रा.पं. बेरियांवाली (खाजूवाला)
पं.स. खाजूवाला (राज.)

विशेष ग्राम सभा

Page No 19

प्रस्ताव संख्या -(5) आज दिनांक २०/०७/२०१६ ग्राम सभा अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि विद्युत विभाग की ी लाइन विद्युत लाइन ११ KV उत्तराखण्ड से माजुलाला १३० के की लाइन २६ RKM से होकर गुजरेगी। क्षेत्र में जनजाति ुसूचित जनजाति आदिम निवासी या अन्य किसी ी आजिविका हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लिये वन उद्देश्य उपयुक्त लाइन के निर्माण ग्राम सभा बैठक में प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता तथा विद्युत विभाग को ग्राम सभा अनुज्ञा पत्र जारी या जाता है।

सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	गीता देवी	सरपंच	गीता देवी
2.	बलराम	ग्राम प्रभारी	बलराम
3.	कविता कुमारी	वार्ड पंच	कविता कुमारी
4.	हनुमान सिंह	रेंजर	Hanuman Singh
5.	मोहराज	ग्राम सेवक	मोहराज
6.	रविन्द्र सिंह	Jr. ENGINEER	Ravindra

रा.पं.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति ग्राम पंचायत खाजूवाला बैठक [illegible] जिला बीकानेर (सन) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
20/7/2016		श्री मोडूराम		आज दिनांक 20.7.2016 को कार्यालय ग्राम पंचायत खाजूवाला मे वार्ड पंच श्री मोडूराम की अध्यक्षता मे पाक्षिक बैठक का आयोजन रखा गया जिसमें निम्न प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये गये। प्रस्ताव संख्या ① वार्ड पंच श्री कमल किशोर ओझा ने प्रस्ताव रखा की ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई कैंटीन आने वाले वित्तीय वर्ष मे टेण्डर प्रक्रिया के आधार पर अलॉट की जाये ताकि ग्राम पंचायत की निजी आय मे बढोतरी हो ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव संख्या ② वार्ड पंच श्री बलविन्द्र सिंह ने प्रस्ताव रखा की ग्राम पंचायत खाजूवाला 30% शौचालय अभी नही बने है जल्द-जल्द शौचालय बनवाये जायें। प्रस्ताव संख्या ③ वार्ड पंच श्री शिव कुमार ने प्रस्ताव रखा की वार्ड नं. 12 विद्युत के तार ढीले है जो विद्युत द्वारा उनको कसाया जाये प्रस्ताव संख्या ④ वार्ड पंच श्री शिव कुमार ने प्रस्ताव रखा की पार्क में दो खम्भे जो कि गली के बीच है वे है उनको हटवाया जाये ताकी गली मे आने वाली बाधा को दूर किया जा सके	मोडूराम [illegible] पूनम कमल किशोर [illegible] मंगलराज [illegible] [illegible] [illegible] बलविन्द्र सिंह [illegible] [illegible] [illegible] निजामदीन वीरेन्द्र सिंह [illegible] [illegible] शिव कुमार [illegible] सुखमार जसविन्द्र कौर [illegible]

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : [illegible] (13 K.J.D.)

गाँव : [illegible]

दिनांक : 24/04/2016

राजस्थान राज्य में 132 KV S/C छतरगढ़ – खाजूवाला ट्रासमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव [illegible] में सरपंच/ग्राम सेवक [illegible] की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ग्राम सभा [illegible] सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए छतरगढ़ टेरिटोरियल वन विभाग के गाँव [illegible] में 5.7570 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन अर्थात 132 KV S/C छतरगढ़ – खाजूवाला ट्रासमिशन लाईन के निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के सुझावों तथा चिंताओं पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डो पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 KV S/C छतरगढ़ – खाजूवाला ट्रासमिशन लाईन का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नही किया गया है।

इसलिए गैर–वन उद्देश्य अर्थात उपरोक्त लाईन के निर्माण के लिए छतरगढ़ टेरिटोरियल वन विभाग के गाँव [illegible] का वन भूमि के 5.7570 हेक्टेयर भूमि विपथन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
ग्राम पंचायत [illegible] (13 KJD)
पंचायत समिति, खाजूवाला

ग्राम सेवक/सरपंच
ग्राम पंचायत
सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible] (13 KJD)
पंचायत समिति खाजूवाला

जिला : बीकानेर
दिनांक

विशेष ग्राम सभा

आज दिनांक 25-04-2016

को प्रातः 10:05 बजे राज्य सरकार एवं विकास अधिकारी पं.स. खाजूवाला के आदेशानुसार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तृतीय चरण के अन्तर्गत ग्रा.पं. भाणेवाड़ियाँ के पंचायत भवन के सभागार में सरपंच महोदया श्रीमती गीता देवी की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। आज कि इस विशेष ग्राम सभा में स्वच्छता कार्यक्रम, महानरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, महिला सशक्तिकरण, केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जायेगी। महानरेगा योजना वार्षिक कार्य योजना श्रृंखला में अतिरिक्त कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूचि का अनुमोदन किया जावेगा तथा ग्रा.पं. का प्रशासनिक प्रतिवेदन (आमदनी लाभ वितरण-कुक लेट) पढ़ी जावेगी। ग्रा.प. में साथिन के चयन हेतु आवेदन लिये जायेंगे तथा चयन किया जाना है एवं ग्रा.पं. की विकास योजना पर चर्चा की जायेगी।

आज की ग्राम सभा में निम्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी, आम एवं खास नागरिक उपस्थित रहे।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती गीता देवी	सरपंच	गीता देवी
2.	श्री नंदसिंह	ग्राम सभा प्रभारी	[illegible]

क्र.सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
3	नंदलाल	ग्राम सेवक	[illegible]
4	[illegible]राम जी	उपसरपंच	[illegible]
5	[illegible]जीत कौर	वार्ड पंच	[illegible]जीत कौर
6	[illegible] कुमारी	[illegible]	[illegible]कुमारी
7.	[illegible] देवी	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible] राम	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible] देवी	वार्डपंच	[illegible]
11.	परमजीत कौर 3KJP	[illegible]	[illegible]जीत कौर
12.	[illegible]	साथी [illegible]	[illegible]
13	गगनदीप कौर	10 KGP	गगनदीप

Teacher's Sign..........

प्रस्ताव संख्या – 05 आज की ग्राम सभा में सरपंच महोदया ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से 132 केवी. जी.एस.एस. [illegible] – [illegible]वाला ट्रांसमिशन लाईन गुजर रही है। इस: विद्युत लाइन जिन – जिन खेतों में से होकर गुजर रही यदि किसी [illegible] नागरिक तथा वन – विभाग, व राजस्व विभाग, [illegible] को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा में पेश करे। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों में जन प्रतिनिधि, आम व खास नागरिकों ने बताया इस विद्युत लाइन से किसी को कोई – [illegible] नहीं है।

अत: [illegible] – [illegible] करने [illegible] प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। तथा विद्युत [illegible] द्वारा अनुज्ञा – पत्र जारी [illegible]

प्रस्ताव संख्या [illegible]

[illegible] ने प्रस्ताव रखा [illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] के लिए अपना खेत [illegible] हेतु आवेदक [illegible] अपना खेत [illegible] के बारे में विस्तार से ग्राम [illegible] को [illegible] अनुसूचित जाति जन जाति [illegible] 2002 में [illegible] कृषक इस योजना का लाभ प्रथम – चरण में ले सकते हैं [illegible] चरण में पात्र [illegible] किया [illegible] है। अत: [illegible] पात्र किसान ग्राम [illegible] आवेदन

Teacher's Sign.............

कार्यालय उपखंड अधिकारी, पूगल

क्रमांक: 2901 | दिनांक 9/8/16

आज दिनांक 09.08.2016 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमे ग्रामस्तरीय वनाधिकार कमेटी से वनक्षेत्र मे पड़ने वाली 132 केवी एस/सी छतरगढ़-खाजूवाला ट्रांसमीशन लाईन का निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव सं. जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमेटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम , 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नही है इसलिए 132 केवी एस/सी छतरगढ़-खाजूवाला ट्रांसमीशन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गॉव नवाबवाली (पंचायत डंडी) की 0.8505 हैक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी, पुगल उपखण्ड अधिकारी पूगल (बीकानेर)	रैंजर वन क्षेत्र ,सत्तासर क्षेत्रीय वन अधिकारी	विकास अधिकारी खाजूवाला विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला
सदस्य (श्री जीवन सिंह)	केशरराम सदस्य (श्री केशाराम)	सदस्य (श्री सोहनलाल)

विषय -- 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु गांव नवाबवाली (पंचायत - डंडी) की वनभूमि के विपथन के संबंध मे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम द्वारा 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़ - खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण हेतु तहसील पूगल के गांव नवाबवाली (पंचायत डंडी) मे 0.8505 हेक्टेयर वन भूमि वनभूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध मे दिनांक 09/08/2016 को उपखण्ड कार्यालय मे बैठक का आयोजन रखा गया जिसमे उपखण्ड अधिकारी चेयरपर्सन एवं निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे ।

1. विकास अधिकारी- खाजूवाला
2. रेंजर, वनविभाग (सत्तासर)
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6.
7.

बैठक कार्यवाही आरम्भ किये जाने के पश्चात गैर वन उद्देश्य के लिए छत्तरगढ़ टैरिटोरियल वन विभाग के गांव नवाबवाली (पंचायत डंडी) मे 0.8505 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध मे राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किये गये केस अर्थात 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण पर तथा ग्राम सभा अनुज्ञाओ का अवलोकन किया गया व विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य के संबंध मे विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । उक्त प्रस्ताव के संबंध अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006) के सभी खण्डो पर बैठक मे विचार विमर्श किया गया । उक्त वनभूमियों का विपथन प्रस्तावित 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के संबंध मे किया जाना है तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि मे कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए गैर-वन उद्देश्य से 132 केवी एस /सी छत्तरगढ़- खाजूवाला ट्रांसमिसन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव नवाबवाली (पंचायत डंडी) मे 0.8505 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को बैठक मे सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
पूगल

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : डाण्डी

गाँव : नवाबावली

दिनांक : 25/05/16

राजस्थान राज्य में 132 KV S/C खाजूवाला - छत्तरगढ़ ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर [illegible] बैठक गाँव डाण्डी में [illegible] की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की [illegible] तथा वन समिति सदस्यों की उपस्थिति मे निम्नलिखित मुद्दो पर चर्चा की गई ।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए छत्तरगढ़ वन विभाग के गाँव डाण्डी में 0.8505 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के [illegible] राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गऐ आवेदन अर्थात 132 KV S/C खाजूवाला - छत्तरगढ़ ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई ।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव [illegible] पर विचार विमर्श किया गया ।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी [illegible] में विचार विमर्श किया गया । विपथन हेतु प्रस्तावित 132 KV S/C खाजूवाला - छत्तरगढ़ ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिए क्या कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और [illegible] निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत का अधिकार प्रदत नही किया गया है ।

इसलिए [illegible] उपरोक्त लाईन के [illegible] के लिए छत्तरगढ़ वन विभाग के गाँव डाण्डी का वन भूमि के 0.8505 हेक्टेयर भूमि विपथन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित [illegible]

[illegible]

ग्राम सेवक / [illegible] पंचायत [illegible]

ग्राम पंचायत [illegible] (बीकानेर)

जिला : बीकानेर

दिनांक

कार्यालय ग्राम पंचायत, डण्डी

(पंचायत समिति– खाजूवाला, एस.डी.एम. मुख्यालय – पूगल – 334023)

प्रेषक:	प्रेषित:
श्रीमती मंजू देवी सरपंच ग्रा.पं. डण्डी, पं.स. खाजूवाला	श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता RRVPNL - बीकानेर

क्रमांक : सरपं/2016/86-87 दिनांक 24/04/2016

विषय 132 KV खाजूवाला। घडसाना ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

ग्राम पंचायत डण्डी की ग्राम सभा का आयोजन दिनांक 24-04-2016 को किया गया जिसमें 132 KV खाजूवाला - घड़साना ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पूरे नियमानुसार किया जा रहा है। इस लाइन से कोई अनुसूचित जाति जनजाति, वनवासी, खेती, आवास या अन्य किसी विशेष की आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इसके प्रस्ताव सर्वसम्मति से बाद विचार विमर्श पारित किया गया।

मंजू देवी
सरपंच
(मन्जू देवी)
ग्राम पंचायत डण्डी
पं.स.खाजूवाला (बीकानेर)

विशेष ग्राम सभा

प्रस्ताव संख्या - (1) आज दिनांक 24/11/16 को ग्राम सभा में सरपंच महोदया श्रीमति मंजू देवी ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में 132 के वी दातरगढ - खाजूवाला लाइन गुजर रही है। यह विद्युत लाइन जिन - जिन खेतों में से होकर गुजर रही है, यदि किसी आम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा में पेश करें। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को, जन प्रतिनिधि, आम एवं खास नागरिकों ने बताया कि इस विद्युत लाइन से किसी को कोई परेशानी नहीं है।

अतः ग्राम सभा द्वारा विचार - विमर्श करने के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। तथा विद्युत विभाग को ग्राम सभा अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमति मंजू देवी	सरपंच	मंजू देवी
2.	श्री मक्खन सिंह	ग्राम सेवक	[signature]
3.	श्री रमेश यादव	रैंजर	Ramesh
4.	श्री हनुमानराम	वार्ड पंच	हनुमानराम
5.	श्री जेद सिंह	ग्राम प्रभारी	[signature]
6.	रविन्द्र सिंह	JEN(RRVPNL)	Ravindra

र.प.र. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति डूडी बैंच जिला बीकानेर (राज.) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
25/5/16	डूडी	श्रीमति मंजू देवी		प्रस्ताव सं.-(1) आज दिनांक 25/5/16 की ग्राम सभा में सरपंच महोदया श्रीमति मंजू देवी ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से 132 के.वी. छतरगढ़ - खाजूवाला लाइन निकल रही है। यह विद्युत लाइन भिन्न - भिन्न खेतों में से होकर गुजर रही है, यदि किसी आम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा में पेश करें। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को जन प्रतिनिधि आम एवम् खास नागरिकों ने बताया कि इस विद्युत लाइन से किसी को कोई आपत्ति नही है।	मंजू देवी [illegible]

कार्यालय उपखंड अधिकारी ......खाजूवाला......

दिनांक 04/08/16

क्रमांक 1558

आज दिनांक 4/8/2016 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति [illegible] बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय [illegible]धिकार कमेटी से वनक्षेत्र मे पडने वाले 132 केवी एस/सी छतरगढ–खाजूवाला ट्रासमीशन लाईन का निर्माण के लिए प्र[illegible] प्रस्ताव से जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमेटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन [illegible] जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावा लंबित नही है इसलिए 132 केवी एस/सी छतरगढ–खाजूवाला ट्रासमीशन लाईन के निर्माण के लिए वन विभाग के गाँव छतरगढ की 3.8070 हेक्टेयर वन भूमि, गाँव आवा की 0.29[illegible] हेक्टेयर वन भूमि गाँव लूणखां की 23.[illegible]12 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव को जिला स्तरीय समिति की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी

रेंजर वन क्षेत्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी

विकास अधिकारी
पंचायत समिति खाजूवाला

(अध्यक्ष)

(सदस्य)

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : छतरगढ़

गाँव : छतरगढ़

दिनांक 26/6/16

राजस्थान राज्य में 132 KV S/C लाईन छतरगढ़ to खाजूवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव छतरगढ़ के सरपंच/ग्राम सेवक श्री नारायणराम [illegible] की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए छतरगढ़ वन विभाग के गाँव छतरगढ़ के 3.8409 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गऐ आवेदन अर्थात 132 KV S/C लाईन छतरगढ़ to खाजूवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तापूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थो पर ग्राम समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डो पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 KV S/C लाईन छतरगढ़ to खाजूवाला ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात उपरोक्त लाईन के निर्माण के लिए छतरगढ़ वन विभाग के गाँव छतरगढ़ का वन भूमि के 3.8409 (3.84090) हेक्टेयर भूमि विपथन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

[illegible]

सरपंच

ग्राम सेवक/[illegible]

ग्राम पंचायत [illegible]

जिला : बीकानेर

दिनांक

गणेश

M: 9950555393

कार्यालय ग्राम पंचायत छत्तरगढ़

पंचायत समिति–खाजूवाला, जिला–बीकानेर (राज.)

नारायणराम [illegible]
सरपंच
ग्राम पंचायत, छत्तरगढ़

निवास :
चक– 8 C.H.D.,
छत्तरगढ़, जिला–बीकानेर

क्रमांक: ग्रा.पं./

दिनांक 20-6-2016

अनापत्ति-प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत छत्तरगढ़ की पाक्षिक बैठक दिनांक: 20-6-2016 में प्रस्ताव संख्या 01 में लिये गये निर्णयानुसार 132 K.V G.S छत्तरगढ़ से खाजूवाला 132 K.V एकल परिपथ विद्युत प्रसारण लाईन छत्तरगढ़ वन पट्टिका में (3.8/70) से होकर गुजरने पर इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है।

सरपंच
ग्राम पंचायत, छत्तरगढ़
पं.स. खाजूवाला

विशेष ग्राम सभा

प्रस्ताव संख्या-(6) आज दिनांक 26/6/16 ग्राम सभा बैठक में सरपंच महोदय श्री नारायण राम खिलेरी ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम सभा अन्तर्गत क्षेत्र से 132 के.वी. छत्तरगढ़-खाजूवाला लाइन गुजर रही है यह लाइन भिन्न-भिन्न खेतों में से होकर गुजर रही है यदि किसी ग्राम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो ग्राम सभा में पेश करें। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को जन प्रतिनिधियों आम एवं खास नागरिकों ने बताया कि इस विद्युत लाइन से किसी को कोई परेशानी नहीं है।

अतः ग्राम सभा द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है तथा विद्युत विभाग को ग्राम सभा अनुमति पत्र जारी किया जाता है।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	नारायण राम खिलेरी	सरपंच	[signature]
2.	रविन्द्र अरोड़ा	ग्राम सेवक	[signature]
3.	विनोद कुमार	ग्राम प्रभारी	Vinod
4.	शारदा देवी	वार्ड पंच	शारदा
5.	प्रवीण कुमार	रेंजर	[signature]
6.	रविन्द्र सिंह	JEN RRVPNL	Ravindra

रा.प.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति छतरगढ़ ………… बैंच ………… जिला बीकानेर ………… (राज.) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
26.6.2016	छतरगढ़	श्री [illegible] [illegible] मेघवैरी		आज दिनांक 26.6.16 को ग्राम सभा में सरपंच महोदय द्वारा प्रस्ताव सं. (5) में रखा गया कि पंचायत क्षेत्र में से गुजरने वाली छतरगढ़ – खाजूवाला सड़क गुजर रही है। यह सड़क किस-किस क्षेत्र से निकल रही है आदि की सभी जानकारी, वन विभाग द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध करवाये हैं तो प्रस्तुत करें। ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि इस परियोजना से [illegible] नागरिकों को कोई परेशानी नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा विचार विमर्श करके यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।	[illegible] छतरगढ़

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : आवा

गाँव : आवा

दिनांक : 05/07/16

राजस्थान राज्य में 132 KV S/C [illegible] आवा [illegible] ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव आवा में सरपंच/ग्राम सेवक श्री —धापा [illegible] की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई । ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दो पर चर्चा की गई ।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए आवा वन विभाग के गाँव आवा में 0.2916 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन अर्थात 132 KV S/C [illegible] आवा [illegible] ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई ।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थो पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार विमर्श किया गया ।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी पक्षों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया । विपथन हेतु प्रस्तावित 132 KV S/C [illegible] ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है ।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य अर्थात उपरोक्त लाईन के निर्माण के लिए आवा वन विभाग के गाँव आवा का वन भूमि के 0.2916 हेक्टेयर भूमि विपथन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

[illegible]
ग्राम पंचायत [illegible]
ग्राम पंचायत

जिला : बीकानेर
दिनांक

कार्यालय ग्राम पंचायत आवा (8 AWM)

(पंचायत समिति– खाजूवाला/एस.डी.एम. मुख्यालय – छत्तरगढ़ जिला बीकानेर)

चम्पाराम
सरपंच
मो. 9680607377

निवास:-
चक 11 AWM (ढाणी)
त. छत्तरगढ़ (बीकानेर)
मो. 9602658031

क्रमांक-[illegible]/ग्रा. प. आवा/2016/17/ दिनांक 05/08/16

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत आवा (8AWM) की साधारण बैठक दिनांक 05/07/16 के प्रस्ताव संख्या-01 में लिये गये निर्णयानुसार 132 K.V जी.एस.एस छत्तरगढ़ से खाजूवाला 132 K.V एकल परिपथ विद्युत ट्रांसमिशन लाईन छत्तरगढ़ [illegible] [illegible] ग्राम आवा से होकर गुजरने पर इस संस्था को कोई आपत्ति नहीं है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 05/08/16 को कार्यालय ग्राम पंचायत आवा (8AWM) से जारी किया जाता है।

सरपंच
ग्रा.पं. आवा (8AWM)
पं.स. खाजूवाला

विशेष ग्राम सभा

प्रस्ताव संख्या - (3) आज दिनांक 5/3/16 ग्राम सभा में सरपन्च महोदय सुरजाराम प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से 132 केवी रोड़-खाजुवाला लाइन गुजर रही है। यह विद्युत लाइन जिन-जिन खेतों में से होकर गुजर रही यदि किसी आम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा पेश करें। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों की प्रतिनिधि, आम एवं खातेदार नागरिकों ने बताया कि उक्त विद्युत लाइन से किसी को कोई परेशानी नहीं है।
अतः ग्राम सभा द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है तथा विद्युत विभाग को ग्राम सभा अनापत्ति पत्र जारी किया जाता है।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	सुरजाराम	सरपंच	सुरजाराम
2	चम्पालाल	ग्राम सेवक	[illegible]
3	बलराम	ग्राम पटवारी	बलराम
4	हंसराज	वार्ड पंच	[illegible]
5.	राकेश कुमार	रेंजर	[illegible]
6.	रविन्द्र सिंह	[illegible] (RRVPNL)	Ravindra

रा.प.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति ओसा .... बैंच .... जिला बीकानेर .... (राज.) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
5/7/16	ओसा	श्री चम्पालाल		आज दिनांक 05.07.16 को ग्रामसभा में सरपंच महोदय सुरजाराम ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से 132 KV [illegible] लाईन गुजर रही है। यह विद्युत लाईन किन-किन खेतों में से होकर गुजर रही है यदि किसी आम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा में पेश करें। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों, जन प्रतिनि., ग्रा., आम व खास नागरिकों ने बताया कि इस विद्युत लाईन से किसी को कोई परेशानी नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।	[signature] ग्राम सेवक/सचिव ग्राम पंचायत [illegible]

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : पुगल[illegible]

गाँव : पुगल[illegible]

दिनांक 5/7/11

राजस्थान राज्य में 132 KV S/C [illegible] सांचोर/पुगल ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गाँव पुगल खेड़ी में सरपंच/ग्राम सेवक श्री [illegible] सिंह की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन प्रयोजन के लिए [illegible] वन विभाग के तहत पुगल खेड़ी के 2.3112 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड [illegible] [illegible] 132 KV S/C [illegible] ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा विशेषताओं पर गाँव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और [illegible] परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम [illegible] के सभी पक्षों पर [illegible] विचार विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित 132 KV S/C [illegible] ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती, आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

इसलिए गैर-वन उद्देश्य [illegible] के निर्माण के लिए [illegible] वन [illegible] गाँव [illegible] का वन भूमि के 2.3112 हेक्टेयर भूमि विपथन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

[illegible]

[illegible]

ग्राम [illegible]

जिला : बीकानेर

दिनांक

विशेष ग्राम सभा

प्रस्ताव संख्या - 4 आज दिनांक 05.07.16 की ग्राम सभा सरपन्च महोदय श्री विजय पैंसिया ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से 132 केवी. छत्तरगढ़ - खाजुवाला लाईन गुजर रही है। यह विद्युत लाईन जिन - जिन खेतो मे से होकर गुजर रही है। ~~यह विद्युत लाइन गुजर रही है। यह विद्युत~~ यदि किसी ग्राम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा मे पेश करे। ग्राम सभा मे उपस्थित नागरिको को जन प्रतिनिधि, आम व खास नागरिको ने बताया कि इस विद्युत लाईन से किसी को कोई परेशानी नही है।

अतः ग्राम सभा द्वारा विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से किया जाता है तथा विद्युत विभाग को ग्राम सभा अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है।

क्र सं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	विजय पैंसिया	सरपंच	[signature]
2.	चतर राम	ग्राम सेवक	[signature]
3.	महेन्द्र सिंह	ग्राम प्रभारी	[signature]
4.	मेघाराम	वार्ड पंच	मेघाराम
5.	मांगीलाल	रेंजर	Mangilal
6.	रविन्द्र सिंह	JEN (RRVPNL)	Ravindra

रा.प.रा. नियम 44

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

पंचायत/उप समिति लूणकरणसर बैंच .... जिला बीकानेर (राज.) वर्ष 2016

बैठक होने की दिनांक	बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
5/ /16	लूणकरणसर	श्री विजय पैंसिया		प्रस्ताव संख्या - 4 आज दिनांक / /16 की ग्राम सभा में सरपंच महोदय श्री विजय पैंसिया ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र से 132 KV ट्रांसमिशन लाईन गुजर रही है। यह विद्युत लाईन भिन्न-भिन्न खेतों में से होकर गुजर रही है यदि किसी ग्राम नागरिक तथा वन विभाग व राजस्व विभाग को कोई आपत्ति या एतराज हो तो ग्राम सभा में पेश करें। ग्राम सभा में उपस्थित नागरिकों को जन प्रतिनिधि, ग्राम व आसपास नागरिकों ने बताया कि इस विद्युत लाईन से किसी को कोई परेशानी नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।	(हस्ताक्षर) सरपंच ग्राम पंचायत